ब्लाक के लिए स्वयं अथवा अपने सहयोगियों आदि के साथ ऑफर जमा कर सकता है।

(ख) ऑफर जमा करने हेतु निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गई है:—

1. ऑफरकर्ता को हीरों के पूर्वेक्षण, सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन में 5 वर्ष का पूर्व अनुभव होना चाहिए तथा उसके साथ अथवा उसको सहयोग करने वाले आदि के पास तकनीकी सुविधा इस कार्य हेतु उपलब्ध होना चाहिए। विशेषकर ईडीकेटिड मिनरल्स की मौजूदगी पता लगाने की सुविधा।

2. ऑफरकर्ता को यह अभिकथन देना होगा कि गठित जे० वी० सी० के द्वारा हवाई पूर्वेक्षण कार्य किया जाएगा।

3. ऑफरकर्ता मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम के साथ संयुक्त उपक्रम गठित कर कार्य संपादित करेगा जिसे संयुक्त उपक्रम विधिवार पी० एल० या आवश्यकता होने पर खनिज रियायतें प्राप्त करेगा।

4. ऑफरकर्ता की नेटवर्थ 150 करोड़ रु० तथा उसका तीन वर्ष का वार्षिक औसत टर्नओवर रु० 300 करोड़ का होना चाहिए।

5. ऑफरकर्ता को यह सहमति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि वह राज्य खनिज निगम को संयुक्त क्षेत्र में 11% अनसब्सक्राइब्ड अंश पूंजी देगा तथा कंपनी की अंश पूंजी का 11% हमेशा ही बना कर रखेगा।

6. ऑफरकर्ता उत्पादित हीरे पर 20/- रु० प्रति कैरेट की दर से स्थानीय विकास हेतु सहमत होगा।

7. किसी भी ऑफरकर्ता को दो से अधिक ब्लाक आबंटित नहीं किया जाएगा।

8. ऑफर का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित तकनीकी-वाणिज्यिक मापदण्डों पर किया जाएगा जिसमें वाणिज्यिक दृष्टि से ऑफरकर्ता को हीरों के विक्रय मूल्य के 10% न्यूनतम निर्धारित से अधिक कितने प्रतिशत राशि राज्य शासन को देने को सहमत हैं अपने ऑफर में उल्लेखित करना होगा। यह राशि हीरों के उत्खनन पर देय रॉयल्टी तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार को प्राप्त होने वाले कर/राजस्व के अतिरिक्त होगी।

9. ऑफरकर्ता को ऑफर के साथ 1.00 करोड़ रु० की अमानत राशि जमा करवानी होगी।

लौह और इस्पात संबंधी संयुक्त उद्यम पैनल

2248. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने संयुक्त उद्यम समिति के वर्तमान स्वरूप इसकी भूमिका और उसके कार्यों के मूल्यांकन के लिए किसी विशेषज्ञ दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपना अन्तरिम या अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार "लौह और इस्पात संबंधी संयुक्त उद्यम पैनल" का विस्तार करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Losses in Visakhapatnam Steel Plant

2249. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) what have been the cash and over-all losses in Visakhapatnam Steel Plant in 1996-97 and 1997-98;

(b) what has been its production of metallurgical coke in 1995-96, 1996-97 and 1997-98 and out of these how much have been captive consumption and out-side sales during these years; and

(c) what is the impact of cheap imports of metallurgical coke of Chinese origin on its outside sale of coke, its stocks and prices?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) Rashtriya Ispat Nigam Limited (Visakhapatnam Steel Plant) has made a cash profit of Rs. 176 crores in 1996-97 (12 months unaudited) and Rs. 15.60 crores during 1997-98 (12 months prov. unaudited). However, it registered net losses during 1996-97 (unaudited) and 1997-98 (unaudited prov.) to the tune of Rs. 246 crores and Rs. 419 crores respectively.

(b) The details of production, consumption and outside sales of Metallurgical Coke in 1995-96, 1996-97 and 1997-98 are given below:

(Unit Tonnes)

Year	Production	Consumption	Despatches for outside sales
1995-96	1960758	1720747	54293
1996-97	1895273	1656970	50785
1997-98	1810289	1639826	12193

(c) Outside sale of Blast Furnace Coke (metallurgical coke) being marginal, on account of VSP consuming almost its entire production of coke, the impact of imported metallurgical coke from China on its outside sales is insignificant.

नई खनन नीति का कार्यान्वयन

2250. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई खनन नीति को लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो नई खनन नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) नीतिगत परिवर्तनों के क्या उद्देश्य हैं तथा क्या इनका नये निवेश और रोजगार सृजन के मामले में प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा नये निवेश हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) राष्ट्रीय खनिज नीति वर्ष, 1993 में घोषित की गई थी जिसमें यह उल्लेख किया गया कि उच्च मूल्य वाले और दुलर्भ खनिजों के गवेषण और खनन में विदेशी प्रौद्योगिकी के प्रवेश और भागीदारी को जारी रखा जाएगा। 13 खनिज, जो इससे पहले (वर्ष, 1993 तक) सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विदोहन किए जाने के लिए आरक्षित थे, निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिये गये हैं ताकि गवेषण और विदोहन के लिए विदेशी निवेश और आधुनिक प्रौद्योगिकी सहित और अधिक निवेश को आकर्षित किया जा सके। राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष, 1994 में खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन किए गए। इन संशोधनों में भारत की खनन कंपनियों में विदेशी इक्विटी पर लगे प्रतिबंधों को हटाना जिससे 100% तक भी विदेशी इक्विटी की मंजूरी दी जा सके, लेकिन इसके लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी लेनी होगी बशर्ते कि कंपनी भारत में पंजीकृत हो, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की अनुसूची-1 के भाग ग से 15 खनिजों को हटाना, खनन पट्टे की न्यूनतम अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष करके, खनन पट्टे की अधिकतम अवधि 20 से बढ़ाकर 30 वर्ष, खनन पट्टे के नवीकरण की अधिकतम अवधि 10 से बढ़ाकर 20 वर्ष, पूर्वेक्षण लाइसेंस की अवधि 2 से बढ़ाकर 3 वर्ष करना और पूर्वेक्षण लाइसेंस 2 वर्ष तक नवीकरण करने की मंजूरी देकर अवधि के अधिक स्थायित्व के लिए प्रावधान शामिल है। खनिज रियायत नियम, 1960 और खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 में भी संशोधन किए गए हैं।

(घ) सरकार, निजी क्षेत्र, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश के लिए इस प्रकार के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करती।